मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2000 (फाल्गुन 20, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-1-99-मध्यम-इकतीस, दिनांक 24 नवम्बर, 1999 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मुंशीलाल, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य, रायपुर जिले में स्थित एल. एण्ड टी. सीमेंट संयंत्र के प्रबन्धन द्वारा आदिवासियों की भूमि खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य, सतना जिले में शहीद परिवारों के लिए राज्य शासन द्वारा की गई घोषणाओं का पालन न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री लालसिंह राणावत, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा स्थित भारत कॉमर्स उद्योग द्वारा श्रमिकों का शोषण किये जाने की ओर राज्यमंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह आर्य, मुन्ना सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर नगर स्थित ऐतिहासिक तालाब का रख रखाव न होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(7) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मीकांत शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय छात्रावास एवं रायपुर स्थित पॉलिटेक्निक छात्रावास में छात्राओं की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री महेश तिवारी, सदस्य, कवर्धा जिले के ग्राम पड़लपारा के सरपंच को आत्महत्या के लिए मजबूर किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले की बरेली तहसील के ग्रामों में नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, हिम्मत कोठारी, सदस्य, शाजापुर जिले के पास राज्य सड़क परिवहन निगम की बस को लूटे जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, छत्तीसगढ़ अंचल में मजदूरों का पलायन होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, लक्ष्मण सिंह गौड़, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, छतरपुर नगर के अन्तर्गत शासकीय भूमि को भू-माफिया द्वारा बेचे जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, बृजमोहन अग्रवाल, कुंवर तेजसिंह सेंधव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ नगर के समीप एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अरवा चावल की लेवी अनिवार्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य, राजनांदगांव जिला मुख्यालय में विकलांगों को ट्रायसायकल का वितरण न किये जाने की ओर राज्यमंत्री समाज कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

—२

(16) सर्वश्री प्रेम सिंह पटेल, लालसिंह आर्य, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, बड़वानी जिले में आदिवासियों के लिए पर्याप्त राहत कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री मुंशीलाल, सदस्य, रायसेन जिले के सेहतगंज स्थित नान-कन्वेंशनल पावर प्लांट से विद्युत प्रदाय में अनियमिततायें होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री मुंशीलाल, नरेन्द्र बिरथरे, सेवाराम गुप्ता, सदस्य, मुरैना जिले के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री बाबूलाल गौर, अंचल सोनकर, अजय विश्नोई, सदस्य, जबलपुर के गुरंदी बाजार में पुलिस व नगर निगम कर्मियों द्वारा मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कमल पटेल, सदस्य, इंदौर एवं पीथमपुर से अग्निशमन गाड़ियों को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में ऊन खरीदी में भ्रष्टाचार होने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री बृजराज सिंह, सदस्य, श्योपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर जिले के भाटापारा अनुभाग के ग्रामीणों को भूमि लीज पर न देने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) सर्वश्री कंकर मुंजारे, सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, सतना जिले में स्थित यूनिवर्सल केबिल्स लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा श्रमिकों को प्रताड़ित किये जाने की ओर राज्यमंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, मुंशीलाल, रसाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम रायकोट से पीठासीन अधिकारी व अन्य लोगों का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री बाबूलाल गौर, मुंशीलाल, हिम्मत कोठारी, सदस्य, भोपाल के रेतघाट मार्ग पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्रीमती सविता दीवान शर्मा, सर्वश्री कमल पटेल, हरीशंकर जायसवाल, सदस्य, होशंगाबाद जिले में तवा दायीं तट नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, कुंवर तेजसिंह सेंधव, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, महासमुंद जिले के ग्राम सोनपुर में एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल के ईदगाह हिल्स क्षेत्र में भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रतलाम जिले की जावरा शुगर मिल को नहीं चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री सुनील नायक, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर के समीप शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, उमेश शुक्ला, सदस्य, प्रदेश में अनेक स्थानों पर पुलिस हिरासत में मौतें होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, मुंशीलाल, सदस्य, बस्तर क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल में कृषि उपज मंडी हेतु आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किया जाकर अवैध निर्माण कार्य किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री बृजराज सिंह, सदस्य, श्योपुर जिले के कराहल विकास खण्ड के जनपद पंचायत सदस्यों का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री बाबूलाल गौर, श्री नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, भोपाल नगर स्थित कोलार आवर्धन परियोजना निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, मध्यप्रदेश पर्यटन निगम के अधिकारियों द्वारा अनियमिततायें किये जाने की ओर पर्यटन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) श्री माधव सिंह ध्रुव, सदस्य, धमतरी जिले की सहकारी संस्था नगरी द्वारा खाद्य सामग्री वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 8 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

5. वर्ष 2000-2001 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
30 मि.	(1)	मांग संख्या-18	श्रम
		मांग संख्या-34	समाज कल्याण
		मांग संख्या-66	पिछड़ा वर्ग कल्याण.
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या-36	परिवहन.
1 घन्टा 30 मि.	(3)	मांग संख्या-39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-63	अल्प संख्यक कल्याण विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-72	गैस दुर्घटना राहत कार्यों से संबंधित व्यय.

6. अशासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 8 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री शिवप्रसाद सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के पटवारियों की पदस्थापना गृह तहसील से बाहर की जाय."

(2) सर्वश्री महेश तिवारी, धर्मजीत सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग और इसके फलस्वरूप बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग पर प्रदेश में प्रतिबंध लगाया जाय."

(3) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में सभी श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) में उत्तीर्ण छात्रों को समान रूप से प्रवेश देना अनिवार्य किया जाय."

30 मि. (4) सर्वश्री शिवमोहन सिंह, रमाकांत तिवारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि पृथक विन्ध्य प्रदेश की स्थापना हेतु राज्य शासन आवश्यक पहल करे तथा इसे मूर्त रूप देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करे."

भोपाल :
दिनांक : 9 मार्च, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.